सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-3340/MP/966/2026-RO BH/RU-2 दिनांक: 05.06.2026

सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार,
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली 110001,
ई-मेल: csoffice[at]nic[dot]in

निदेशक,
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश (NID MP)
अचारपुरा, ईंट खेड़ी, पोस्ट-अरवलिया,
भोपाल-462038, मध्य प्रदेश
ई-मेल: director[at]nidmp[dot]ac[dot]in

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (CAO),
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश (NID MP)
अचारपुरा, ईंट खेड़ी, पोस्ट-अरवलिया,
भोपाल-462038, मध्य प्रदेश
ई-मेल: cao@nidmp.ac.in

विषय: राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश के प्रशासन और निदेशक द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के साथ सेवा उत्पीड़न व भेदभाव कर प्रताडित करने के संबंध में डॉ. सुकन्या बोर सैकिया, निवासी-ग्राम-महुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखंड से प्राप्त दिनांक 17.04.2026 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.04.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 16.06.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

डॉ. सुकन्या बोर सैकिया,
निवासी-ग्राम-महुलिया,
जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखंड
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

ई मेल /e-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in
टेलीफैक्स/Telefax : 0755 2576530
0755 2578272

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes

भारत सरकार

Government of India

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR M.P. MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-3340/MP/966/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक: 27/04/2026

1. **सचिव**
   वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
   वाणिज्य भवन,
   नई दिल्ली, दिल्ली- 110001
   Tel. No: 011-23062261

2. **निदेशक**
   नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन,
   आचारपुरा, पोस्ट - औलिया सुजातगंज,
   भोपाल, मध्य प्रदेश- 462038

3. **कुलसचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**
   नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन म.प्र.,
   आचारपुरा, पोस्ट - औलिया सुजातगंज,
   भोपाल, मध्य प्रदेश- 462038

विषय: **NIDMP प्रशासन और निदेशक द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के साथ सेवा उत्पीड़न व भेदभाव कर प्रताडित करने के संबंध में- डॉ. सुकन्या बोर सैकिया, पता- ग्राम- महुलिया, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड से प्राप्त अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **डॉ. सुकन्या बोर सैकिया** से दिनांक 17/04/2026 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **10 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी

01

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
डॉ. सुकन्या बोर सैकिया
पता- ग्राम- महुलिया,
जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड
Mobile No: 8638088435

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 677, 78, 79
दि / Dt. 27/04/26